Mail

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./2024/ दिनांक : 06 JUL 2024

-:: विज्ञप्ति ::-

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प.10(31)न्याय/2018 दिनांक 29.05.2024 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)/160/23/494 दिनांक 06.06.2024 के क्रम में अलवर न्यायक्षेत्र के विशेष न्यायालयों में 02 वाहनों के संचालन (वाहन चालक) के लिए 02 सेवानिवृत्त कार्मिक (वाहन चालक) की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर सेवायें लेने हेतु इच्छुक 65 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सेवानिवृत्त वाहन चालकगण की सेवायें राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर दिनांक 31.03.2025 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवायें ली जानी हैं।

शर्तें:-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि कार्मिक विभाग के उक्तांकित परिपत्र दिनांक 28.03.2023 के संलग्न परिशिष्ठ-क के अनुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसे सेवानिवृत्त वाहन चालक, जिन्हें सेवा में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या उन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जावेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक कर्मचारी इस कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर उक्त प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजा आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवायें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों पर वर्णित शर्तों पर सेवायें देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक दिनांक 22.07.2024 को सांय 4.00 बजे तक व्यक्तिशः इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्वेजात संलग्न किया जाना आवश्यक है :-

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।
- अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति।
- पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति।
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र।

Sd/-
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2024/24449-569 दिनांक : 06 JUL 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2– श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश (समस्त).......................................(राज.)।
3– समस्त अधीनस्थ न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र।
4– जिला कलक्टर, अलवर।
5– सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6– नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

6.7.24
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

Letter Gen. 01-01-2022

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :..
2. पिता का नाम :..
3. जन्म तिथि :(अंको में)..
   (शब्दों में)..
4. अर्हताएं :..
5. मूल विभाग का नाम :..
6. सेवानिवृत्ति पूर्व धारित पद :..
7. अनुभव :..
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :..
9. मूल पेंशन राशि :..
10. धारित पद का वेतनमान :..
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :..
12. स्थायी पता :..
    ....
    ....

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिए गए सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बन्धों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान : ....

दिनांक: ....

सेवानिवृत्त कार्मिक के हस्ताक्षर